Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:22 Issue:2 August 2020

नेहा पूनिया
शोधकर्ता, राजनीति विज्ञान
पंजीकरण संख्याः 17219009
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल विश्वविद्यालय
विद्या नगरी, झुन्झुनं, राजस्थान–333001

डॉ0 जुलफीकार,
शोध निर्देशक, राजनीति विज्ञान विभाग
एसीसटैन्ट प्रोफेसर
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल विश्वविद्यालय, विद्या नगरी,
झुन्झुनं, राजस्थान–333001

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY A GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARIES , THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT/NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGA LLY RESPONSIBLE(COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता का अध्ययन

सार

भारत, सदियों से, एक बहु–धार्मिक और बहु–जातीय समाज रहा है। पहले के समय में राज्य और धर्म के बीच एक सहजीवी रिश्ता था जो धर्म और धार्मिक संस्थानों के संरक्षक के रूप में कार्य करता था और धर्म राजा की शक्तियों को वैधता प्रदान करता था और न्याय और नैतिकता के सवालों पर उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान करता था। इसके विपरीत, यूरोप भारत में चुरू और धर्म के बीच संघर्ष का कोई इतिहास नहीं था। धार्मिक संस्थाओं के संरक्षक के रूप में राजा की यह भूमिका मुस्लिम राजाओं द्वारा भी निभाई गई थी और कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुस्लिम राजाओं की उत्तराधिकारी के रूप में भी (मिश्रा और मिश्रा, 2011: 49)। उसी समय, केएन पणिक्कर (2010: 26) बताते हैं कि चूंकि बौद्ध धर्म और भक्ति आंदोलन और विभिन्न धर्मों के भीतर अन्य मंथन तत्कालीन मौजूदा धार्मिक प्रथाओं के आलोचक थे, इनने धर्मनिरपेक्षता को बाद के समय में उभरने के लिए एक स्थान बनाया। हालांकि, आधुनिक रूप में, 19 वी शताब्दी के दौरान पणिक्कर ने कहा कि मानवतावाद, तर्कवाद और धार्मिक सार्वभौमिकता ने धर्मनिरपेक्ष विमर्श को बौद्धिक आधार प्रदान किया।

कीवर्ड. *भारतीय, पंथनिरपेक्षता*

परिचय

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूतों ने, धार्मिक मतभेदों के बावजूद, राजनैतिक राष्ट्रवाद को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक राष्ट्रवाद विकसित करने में कोई संदेह नहीं किया। तर्कसंगतता, प्रबोधन और सामाजिक–धार्मिक सुधार आंदोलनों के युग में, वे व्यक्तिगत स्तर पर धर्म को सख्ती से रखना चाहते थे और राजनीतिक सिद्धांतों से दूर थे। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन को विदेशी वर्चस्व के खिलाफ सभी वर्गों का समर्थन जुटाना था, इसलिए अलग–अलग वर्गों के नेता धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए मजबूत नहीं हो सकते थे, क्योंकि धार्मिक विचारधारा और अश्लीलतावादी समूहों के भेदभाव को कम किया जा सकता था। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रवादी नेतृत्व धर्मनिरपेक्षता के विचार के लिए दृढता से प्रतिबद्ध था। यह सबसे अच्छा महात्मा गांधी के शब्दों में परिलक्षित होता है।

"हिंदुस्तान उन सभी लोगों का है जो यहाँ पैदा हुए और पाले गए हैं और जिनके पास देखने के लिए कोई दूसरा देश नहीं है। इसलिए, यह पारसी, बेनी इजरायल से संबंधित है, भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और अन्य गैर–हिंदुओं के लिए जितना हिंदुओं का है। मुक्त भारत कोई हिंदू राज नहीं होगा, यह किसी भी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय के बहुमत पर आधारित भारतीय राज नहीं होगा, बल्कि धर्म के भेद के बिना पूरे लोगों के प्रतिनिधियों पर होगा। मैं हिंदुओं को अल्पमत में डालकर मिश्रित बहुमत की कल्पना कर सकता हूं। उन्हें उनकी सेवा और योग्यता के रिकॉर्ड के लिए चुना जाएगा। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, जिसका भारत में कोई स्थान नहीं है।

मुक्त भारत में राज्य के बारे में उनके एक मिशनरी दोस्त के सवाल का जवाब देते हुए, राज्य आपके धर्मनिरपेक्ष कल्याण, स्वास्थ्य, संचार, विदेशी संबंधों और मुद्रा और इतने पर दिखेगा, लेकिन आपके या मेरे धर्म पर नहीं।

शोध के उद्देश्य

1. पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत की राष्ट्र निमार्ण में भूमिका का अध्ययन करना।

2. पंथनिरपेक्षता का संविधान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना।

स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता

स्वतंत्र भारत में, समाज की धार्मिक विविधता को देखते हुए, विभाजन का दर्दनाक अनुभव और अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को आवश्यक माना गया था। हालांकि, राष्ट्रवाद की अवधि के दौरान धर्मनिरपेक्षता के विचार के विकास को देखते हुए प्रतिनिधियों के अर्थ या दृष्टि के बारे में धारणाएं अलग थीं। इसका एक पहलू यह था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता चर्च और राज्य के बीच संघर्ष का उत्पाद नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धर्म के भीतर ही प्रतिगामी और प्रगतिशील प्रक्रियाओं के बीच मुठभेड़ में विकसित हुआ। जैसा कि आमतौर पर धर्म के विरोध में हुआ। लेकिन भारत में आधुनिक ज्ञानोदय, और हर आंदोलन जिसके माध्यम से यह व्यक्त किया गया है, का सम्मान धार्मिक पुनर्निर्माण (जोशी, 2007) के माध्यम से समाज को पुनर्जीवित करने के विचार पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म के लिए यांत्रिक विरोध नहीं था। इसका मतलब सभी धर्मों और संस्कृतियों के लिए समान रूप से सम्मान और सरकारी मामलों में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना था।

संविधान सभा ने राज्य द्वारा सार्वजनिक संस्थागत प्रथाओं से धर्म के तलाक को सभी धर्मों के लिए समान सम्मान के आधार पर धर्मनिरपेक्षता की धारणा को स्वीकार किया। जबकि संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठाई गई थी, शब्द धर्मनिरपेक्ष संविधान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। केटी शाह द्वारा अनुच्छेद 1 में जोड़ा गया शब्द धर्मनिरपेक्ष होने का एक संशोधन खारिज कर दिया गया था। जैसा कि गजेन्द्रगढकर ने समझाया था कि इस शब्द से परहेज किया गया था क्योंकि इसने कुछ ईसाई देशों में धर्म से जुड़े धार्मिक विरोधी सिद्धांत पेश किए। यह संदेश स्पष्ट है कि संविधान सभा नहीं चाहती थी कि धर्मनिरपेक्षता का अमेरिकी संस्करण दीवार पर जोर दे

पृथक्करण, श्राज्य तटस्थताश इत्यादि, यह निष्कर्ष संविधान सभा द्वारा अस्वीकृति द्वारा समर्थित है, जिसके द्वारा एक और संशोधन किया गया है

केटी शाह, जो यह कहते हुए एक खंड को शामिल करते हैं कि भारत में राज्य का किसी भी धर्म से कोई सरोकार नहीं है और वे धर्म से संबंधित सभी मामलों में पूर्ण निष्पक्षता का पालन करेंगे (मिश्रा और मिश्रा 2011रू 51)। इस प्रकार संविधान सभा ने भारत को इस अर्थ में एक धर्मनिरपेक्ष देश होने का समर्थन किया कि राज्य किसी भी धर्म को विशेषाधिकार नहीं देगा और बहुसंख्यक धर्म के अनुयायियों के लिए अल्पसंख्यक धर्म के अनुयायियों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार नहीं होंगे। नागरिकता के संदर्भ में। साथ ही वह राज्य भेद के बिना सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा।

संवैधानिक प्रावधान

सभी नागरिकों की समानता और गैर–भेदभाव की धारणा को स्पष्ट रूप से समानता का अधिकार प्रदान किया गया है जैसा कि अनुच्छेद 14 से 17 में प्रदान किया गया है। धर्मों के समान व्यवहार का विजन अनुच्छेद 25 से 30 तक आता है जो धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है और सांस्कृतिक और शैक्षिक सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, साथ ही कुछ अन्य लेख। मुख्य रूप से 25 से 30 के लेख भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का आधार हैं और इसे न्यायपालिका द्वारा स्वीकार किया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, एक तरह से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का एक तार्किक प्रकटीकरण है।

1995 की शुरुआत में बाबरी मस्जिद मामले पर अपनी राय देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह संवैधानिक योजना से स्पष्ट है कि यह धर्म के मामले में सभी व्यक्तियों और समूहों के लिए समानता की गारंटी देता है, भले ही उनके विश्वास के बावजूद कोई भी धर्म न हो। राज्य ही। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा समानता के अधिकार का एक पहलू है जिसे हमारे संविधान में योजना के पैटर्न को दर्शाने वाले कपड़े में केंद्रीय स्वर्ण धागे के रूप में बुना गया है (पालीखिवाला, 1996)।

यह कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता के अपनाए गए मॉडल का आधार कम से कम नागरिक समाज के धर्मनिरपेक्षता के एक निश्चित डिग्री पर होता है, धर्म के विघटन के अर्थ में, अगर पूरी तरह से निजी क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन के कुछ बहुत ही सीमित क्षेत्रों में नहीं। इस अर्थ में धर्मनिरपेक्ष को अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के रूप में भी देखा जाता है। यह निर्देश है कि भारत में अल्पसंख्यक धार्मिक और कभी–कभी कट्टरपंथी होने के बावजूद राज्य की सबसे अधिक आयात और तटस्थता के बीच हैं (धर्मगलम, 1995रू 458)। यह यहां ध्यान दिया जा सकता है कि खंड

1) अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता को सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और अन्य प्रावधानों के अधीन बनाता है।

2) आगे विधायिका को किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ा हो सकता है। त्रिपाठी के अनुसार, इस उपखंड के तहत, राज्य क्षेत्राधिकार तब तक मौजूद है जब तक धर्मनिरपेक्ष तत्व बना रहता है

और धार्मिक तत्व की मौजूदगी या डिग्री से प्रभावित नहीं होता है जो इसमें शामिल हो सकता है (मिश्रा और मिश्रा 2011रू 53)।

इस प्रकार, भारत धर्मनिरपेक्षता का एक प्रतिस्पर्धी मॉडल प्रदान करता है, जो सभी नागरिकों को धर्म और विवेक की पूर्ण स्वतंत्रता का वादा करता है, लेकिन धर्म और राज्य के बीच अलगाव की दीवार बनाए बिना ऐसा करता है। भारतीय संविधान राज्य को धार्मिक कानूनों, प्रथाओं और संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष पहलू को बढ़ावा देने या बाधित करने की अनुमति देता है, जब तक कि यह विभिन्न धर्मों के बीच पसंदीदा नहीं दिखता (नंदा, 2007रू 39)। यह लोकप्रिय रूप से सभी धर्मों के लिए समान सम्मान के रूप में जाना जाता है।

व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता

सर्वधर्म समभाव सहित सर्वधर्म समभाव की अवधारणा – सर्व धर्म समभाव के रूप में प्रचलित है, जो शुरू से ही काफी बहस का विषय रहा है। केएन पणिक्कर (2010रू 24) सुझाव देते हैं कि सभी धर्मों के प्रति समान रवैया राज्य को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाता हैय दूसरी ओर यह राज्य को धार्मिक मामलों में फंसा सकता है। पणिक्कर के अनुसार यह डर गलत नहीं है, क्योंकि पिछले 60 वर्षों के दौरान, निष्पक्षता के नाम पर, राज्य को लगभग सभी धर्मों के साथ खुद को जोड़ना पड़ा। परिणाम सभी धर्मों से राज्य का साम्य नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की चिंताओं में राज्य की भागीदारी थी। इसके अलावा, राज्य ने सभी धर्मों के दबाव के आगे घुटने टेक दिए। इसलिए, धर्मनिरपेक्ष होने के बजाय, राज्य और उसके मूल्यांकन धार्मिक मामलों में निहित थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस विचलन को बढ़ाने की कोशिश की और धार्मिक समारोहों में भाग लेने से बचते रहे। नेहरू का धर्मनिरपेक्षता का विस्तार सामाजिक और राजनीतिक समानता की पुष्टि में निहित था। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद नेहरू का समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विमर्श एक खाली बयानबाजी था। क्या मायने रखता था अब धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारधारा की राजनीति को बढ़ावा देने के बजाय चुनाव जीतने के लिए। धर्मनिरपेक्षता का उपयोग केवल भाग्यवाद के नारे के रूप में किया जाने लगा। न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष ने इसे अपनी असली भावना में लागू किया। सभी धर्मों के समान सम्मान के नाम पर राजनेताओं ने धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल करके या तो धार्मिक समूहों को खुश करना शुरू किया या वोट बैंक बनाने के लिए धर्म के नाम पर लोगों को लामबंद किया। दुर्भाग्य से, कानून 17 जुलाई, 1995 को दिए गए धर्म के फैसले के आधार पर राजनीतिक दलों को संगठित नहीं करता है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ लीवर की आयु दी है जब उसने यह फैसला सुनाया कि राजनीतिक दलों को एक विशेष जाति, समुदाय के साथ पहचाना जाता है , धर्म या भाषा अपने विरोधियों के लिए नफरत पैदा किए बिना उनके कारण को बढ़ावा देने के लिए वोट मांग सकती है। तीन जजों की बेंच ने पाया कि उन्होंने माना है कि कई पार्टियां ऐसी थीं जिनकी सदस्यता या तो मुख्य रूप से कुछ समुदायों या धर्मों के सदस्यों के पास थी या फिर वोट के लिए ऐसे दलों के उम्मीदवारों द्वारा की गई अपील अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित हो सकती है। धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के विचार। अगर कानून ऐसे दलों को मान्यता देता तो ऐसी स्थिति से बचा नहीं जा सकता था।

राज्य द्वारा सभी धर्मों के लिए समान सम्मान, वास्तव में, अधिक समस्याएं पैदा करता है। चंचल सरकार को उद्धृत करने के लिए "धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह दुनिया में कहीं और की तुलना में विकासशील देशों को अधिक छुट्टियां देने वाले सभी समुदायों के त्योहारों का अवलोकन करता है, अगर एक गंभीर खाद्य संकट को पूरा करने के लिए, हम एक तपस्या आदेश पारित करते हैं, तो चर्च, मंदिर , भोग या प्रसाद के प्रयोजनों के लिए मस्जिदों और गुरुद्वारों को छूट दी गई है। और हमारे नेता दो बार किसी बांध या कारखाने के समर्पण में एक सांप्रदायिक धार्मिक समारोह में भाग लेने के बारे में नहीं सोचते हैं, जिससे अनायास, भले ही अन्य समुदायों के लिए अपमान हो, "। मूनिस रजा ने इसे संक्षेप में कहा है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक लोकतांत्रिक राज्य है, भारत हिंदू जिज्ञासा, मुस्लिम धर्मशास्त्र, ईसाई धर्मशास्त्र और सभी कुरीतियों को एक साथ दर्शाता है

सबसे पहले, पश्चिमी अर्थ और संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करने वाले लोग हैं, इसके निहितार्थ राजनीति और राज्य की नीतियों के लिए एक गैर धार्मिक दृष्टिकोण है। हम इस श्रेणी में वामपंथी, उदारवादी और तर्कवादी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इस श्रेणी के तहत जो हमारे देश में एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग में हैं।

दूसरे, वे लोग हैं जो राज्य की नीतियों और सामाजिक व्यवहार दोनों में सभी धर्मों के लिए समान सम्मान के रूप में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करते हैं। गांधीवादियों और धर्म के कुछ विश्वासियों को इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। वास्तविक अर्थों में बात करें तो इस श्रेणी के लोग अल्पसंख्यक भी होते हैं।

तीसरा, ऐसे लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता की सेवा करते हैं और जो भी उन्हें राजनीतिक रूप से सूट करता है, उसकी व्याख्या करता है। सभी रंग और रंगों के राजनेता इस श्रेणी में आ सकते हैं। वास्तव में, यह वे लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं और बौद्धिक भ्रम पैदा करते हैं और इसलिए उन लोगों की तुलना में अधिक खतरनाक हैं जो खुले तौर पर सांप्रदायिक हैं (हालांकि कोई भी सांप्रदायिक होने का दावा नहीं करता है)। इन सब के मद्देनजर आज व्यापक चिंता यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक गंभीर संकट का सामना कर रही है और जिसे नेहरूवादी सर्वसम्मति के रूप में जाना जाता है वह ढह गया है और ढह रहा है। हम जातीय और सांप्रदायिक पहचान के सामाजिक निर्माण में धर्म के बढ़ते उपयोग का पता लगाते हैं जिसने आम आर्थिक हितों और राजनीतिक लामबंदी की अभिव्यक्ति के लिए आधार बनाया है। एक अभूतपूर्व अखिल भारतीय हिंदू चेतना का संकुचन भी है जो जाति और क्षेत्रीय विभाजन में कटौती करता है। इसे अक्सर हिंदू बैकलैश के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि अन्य धार्मिक समूहों की राजनीतिक लामबंदी के खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया है। केएन पणिक्कर (2010रू 29) के अनुसार, हिंदू सांप्रदायिकता की सफलता के मुख्य कारणों में से एक धर्मनिरपेक्षता की विफलता सामाजिक और सांस्कृतिक डोमेन में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करना है, जिसमें सांप्रदायिकता कभी भी सक्रिय है।

धर्मनिरपेक्षता के तीन आवश्यक हैं

i) राज्य और इंडिविजुअल के बीच के रिश्ते में धर्म को आंकना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि राज्य को अपने धर्म के आधार पर व्यक्तियों के अधिकार तय नहीं करने चाहिए। ऐसा धर्म जहाज धर्म के बावजूद है। यह गैर–भेदभावपूर्ण राज्य की जड़ है।

ii) व्यक्ति और धर्म के बीच संबंध में राज्य नहीं आता है। व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है और राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

धर्म की स्वतंत्रता का दायरा क्या है और धर्म की स्वतंत्रता पर किस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये ऐसे सवाल हैं जो हर समाज में निर्धारित किए गए हैं। लेकिन जिस समाज में जीवन के धार्मिक और लौकिक पहलुओं के बीच अलगाव हुआ है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा अधिक होगा क्योंकि धर्म को एक संकीर्ण अर्थ में समझा जाएगा। भारत में, जैसा कि हमने ऊपर कहा है, धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे को परिभाषित करने के लिए इसे दूसरे–शब्दों में, पूरी तरह से अंतरात्मा के निजी क्षेत्र में परिभाषित करने की आवश्यकता है।

iii) धर्म और राज्य के बीच के संबंध में, जैसा कि हमने पहले देखा है, भारतीय संविधान के तहत राज्य में हस्तक्षेपकर्ता के साथ–साथ गैर–हस्तक्षेपवादी भूमिकाएं हैं, जो विश–ए–विज धर्म निभाते हैं। इसके हस्तक्षेप को धर्म के दायरे को फिर से परिभाषित करने के उद्देश्य से चिंतन किया जाता है और धार्मिक हस्तक्षेप को राज्य के हस्तक्षेप (अनुच्छेद 26) से धार्मिक संगठन को स्वायत्त बनाने के लिए चिंतन किया जाता है।

अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जिनमें से आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदायों के प्रचार या रखरखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विशेष रूप से विनियोजित हैं। खण्ड (1) में अनुच्छेद 28 यह बताता है कि राज्य के कोष से पूर्णतरू बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, क्लॉज (2) यह प्रदान करता है कि उपरोक्त पट्टी किसी शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगी, जो राज्य द्वारा प्रशासित है, लेकिन किसी भी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित की गई है, जिसके लिए ऐसी संस्था में धार्मिक निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। खण्ड (3) प्रदान करता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले या राज्य कोष से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या किसी भी धार्मिक उपासना में शामिल होने के लिए आवश्यक नहीं है, जो कि हो सकता है। इस तरह के संस्थान में या किसी संलग्न परिसर में तब तक आयोजित किया जाता है जब तक कि कोई व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति नाबालिग न हो, उसके अभिभावक ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इससे पता चलता है कि धर्मों का कुल बहिष्कार नहीं है। राज्य को किसी भी धार्मिक गतिविधि के साथ जोड़ने से रोकने के लिए प्रावधान उतने अधिक नहीं हैं जितना कि किसी धार्मिक निर्देश या किसी व्यक्ति पर पूजा करने से रोकने के लिए। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का निर्देश चाहता है, तो वह निश्चित रूप से यह कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पहले संशोधन का कोई स्थापना खंड स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि राज्य का धर्म से कोई लेना–देना नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा धर्म के साथ राज्य के इस तरह के कुल पृथक्करण पर विचार नहीं किया गया था। भारत के इतिहास, परंपरा और भारतीय जीवन में धर्म और परंपरा / संस्कृति के बीच घनिष्ठ संबंध में अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष राज्य के मॉडल से इस तरह के प्रस्थान का कारण है।

भारतीय राज्य का गैर–हस्तक्षेपकारी तत्व राज्य–धर्म द्वंद्ववाद से प्रेरित नहीं है, बल्कि समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका के विपरीत, जहां एक सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान किसी भी धार्मिक निर्देश को लागू नहीं कर सकता है, भारत में, ऐसे संस्थान धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, केवल यह चेतावनी दी जा रही है कि वे अनिच्छुक छात्र पर ऐसा निर्देश न दें। हालांकि,

राज्यों द्वारा वित्त पोषित संस्थान पूरी तरह से धार्मिक शिक्षा देने से मना करते हैं। अनुच्छेद 27 जिसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म के प्रचार के लिए किसी भी नागरिक पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, इसका मतलब है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा या उसे हतोत्साहित नहीं करेगा, लेकिन राज्य का राजस्व निश्चित रूप से सामान्य रूप से धर्मों के उद्देश्यों के लिए खर्च किया जा सकता है। अनुच्छेद 27 भी राज्य और धार्मिक प्रतिष्ठान के बीच कुल अलगाव को निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा है, धार्मिक संस्थानों की रक्षा या विनियमन के लिए राज्य द्वारा पैसे का एक अच्छा सौदा खर्च किया जाता है। धार्मिक और धर्मार्थ कारणों से कर छूट दी जाती है। हज या कुंभमेला जैसे धार्मिक मण्डलों में जाने के लिए तीर्थयात्रियों को विशेष यात्रा रियायतें दी जाती हैं। यह राज्य के लिए इस तरह की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सबसे अव्यवहारिक होगा। भारत में कोई भी धर्म विरोधी राज्य नहीं बच सकता था। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य के मौजूदा मॉडल से ऐसे प्रस्थान के कारण था कि संविधान के निर्माताओं ने मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का विशेष रूप से उपयोग नहीं किया था। वास्तव में, संविधान की प्रस्तावना में ईश्वर के साथ–साथ धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख प्रदान करने की मांग वाले संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया था।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के लिए, इस अध्ययन के पहले किए गए अंकों के मूल्यांकन और निकाले गए निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ये निष्कर्ष के मुख्य बिंदु हैंरू धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता मूल रूप से पश्चिमी मूल के हैं और राज्य और चर्च के अलगाव का एक अपराध था। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब धार्मिक विरोधी रुख नहीं है। इसके विपरीत, यह मौजूद हो सकता है भले ही लोगों ने विविध धर्म या विश्वास को स्वीकार किया हो। यह विभिन्न धर्मों और विश्वासों का पालन करने वाले व्यक्तियों और समूहों ध समुदायों के बीच सहिष्णुता और समझ की भावना को दर्शाता है। यह जॉर्ज जैकब होलोयेक था जिसने पहली बार शब्द को गढ़ा और सेक्युलर शब्द का अर्थ समझाया। भारत में, धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था जब इसे अपनाया गया था और इसे लागू किया गया था। हालाँकि, देश के बहुस्तरीय चरित्र को देखते हुए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया था। संविधान में कुछ अन्य उपबंधों का यह भी अर्थ था कि भारतीय नागरिक दूसरों की आस्थाओं (बिना किसी आस्था के विश्वास) के हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक विश्वास का अभ्यास कर सकते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय संविधान के पिता को डॉ। बीआर अंबेडकर (कुछ हद तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर) सहित अमेरिकी संविधान के पिता के समान नहीं माना जा सकता है, सभी के मन में एक धार्मिक भावना थी। जबकि अमेरिकी संविधान ने विशेष रूप से प्रदान किया कि राज्य धर्म से संबंधित किसी भी मामले में कानून नहीं बनाएंगे, भारतीय संविधान ने विशिष्ट प्रावधान किया और धर्म के क्षेत्र में अभिनय के लिए कानून बनाना छोड़ दिया।

संदर्भ

1. पणिक्कर केएन, (1996), सांप्रदायिक खतरा, धर्मनिरपेक्ष चुनौती, नई दिल्ली, ऐतिहासिक अध्ययन प्रकाशन केंद्रय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पीपी। 8–9
2. इबिड पीपी .च०– .१
3. अय्यर मणिशंकर, (2004), एक धर्मनिरपेक्ष कट्टरपंथी के बयान, नई दिल्ली, पेंगुइन च्नइ.चच.42–43
4. इबिद पीपी .४६–४.4
5. डोनाल्ड यूजीन स्मिथ, (1967), भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, प्रिंसटन, अमेरिका, पेंसिल्वेनिया प्रकाशन विश्वविद्यालय, पीपी .65–66
6. पइपक पीपी.67–68
7. घोष एसके, (2000), भारत में धर्मनिरपेक्षताय द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, नई दिल्ली, एपीएच पब। निगम, पीपी.28–29
8. अभियंता इरफान, धर्म, राज्य और धर्मनिरपेक्षताए, (1995), म्ॅ, टवस.30, छव.43 (28 अक्टूबर वें), चच.2726–2728
9. गहराना कानन, (1991), धर्म का स्वतंत्रता का अधिकारय भारतीय धर्मनिरपेक्षता, नई दिल्ली, दक्षिण एशियाई प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड में एक अध्ययन चच.18–19
10. ध्यानी एसएन, (1996), धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक–कानूनी मुद्दे, नई दिल्ली, रावत प्रकाशन पीपी . 64–165
11. तजनी शबनम, सेक्युलरिज्म हिस्टोरिकल बैकग्राउंडए, नीडम अनुराधा डिंगनवेनी और राजनराजेश्वरी सुंदर एड में। (2007), द क्राइसिस ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, नई दिल्ली, परमानेंट ब्लैक पब्लिकेशंस, पीपी.48–52
12. इबिद पीपी .५६–५.5
13. जिंगराम सारल, (1995), भारत में धर्मनिरपेक्षता, ए रीपैरिसल, नई दिल्ली, हरनंद पब्लिकेशन्स, पीपी. 120–121
14. सारण एके, (2007), थ्योरी ऑफ सेकुलरिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन, वाराणसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बती स्टडीज पब.सारनाथ, पीपी। 5–3–54

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments /updates, I have resubmitted the paper for publishing on the same date. If any data or information given by me is not correct I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and the entire content is genuinely mine. If any issue arise related to Plagiarism / Guide Name / Educational Qualification / Designation/Address of my university/college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright / Patent/ Submission for any higher degree or Job/ Primary Data/ Secondary Data Issues, I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhar/Driving Lisence/Any Identity Proof and Address Proof and Photo) in spite of demand from the publisher, and my paper may be rejected or removed from the website. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that initially I have personally (not through email) or through any reliable person I have submitted my paper for publication If publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper may be removed from the website or the watermark of remark/actuality may be mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against the author.

नेहा पूनिया

डॉ0 जुलफी कार